

यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक)

इटावा जिला कोटा

मसल नं.
13/2018

तारीख दायरा
22/05/2018

तारीख फैसला
03/09/20

पीठासीन अधिकारी- श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1-सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री मदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

- वादी

बनाम

- 1- लक्ष्मीचंद पुत्र स्व० श्री कजोड जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा ।
- 2- सुरजमल पुत्र श्री लक्ष्मीचंद जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा ।
- 3- रैना पुत्री स्व० श्रीमदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा ।
- 4- गुड्डी पुत्री स्व० श्री मदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा ।
- 5- मूर्ति पत्नि स० श्री मदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा ।
- 6- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि माल ग्राम प्रेमपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा की जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के खाता सं. 164 में खसरा न. 855/166 उत्तर रकबा 0.90 है०,खाता सं. 165 मे खसरा सं. 494 रकबा 2.09 है० खाता से. 166 मे खसरा नं. 701 रकबा 3.79 है० खाता सं० 167 मे खसरा सं. 226 रकबा 1.25 है०,खसरा सं. 269 रकबा 0.27 है०,खसरा सं. 283 रकबा 0.10 है०,खसरा सं. 597 रकबा 1.84 है० कुल किता 4 कुल रकबा 3.46 है० भूमि वादी तथा प्रतिवादी कम 3 व 4 के पितामह,प्रतिवादी कम 5 के ससुर तथा प्रतिवादी कम 2 के पिता,प्रतिवादी न. 1 की खातेदारी में दर्ज है।

वाद दिनांक 31.05.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के खाता सं. 164 में खसरा न. 855/166 उत्तर रकबा 0.90 है०,खाता सं. 165 मे खसरा सं. 494 रकबा 2.09 है० खाता से. 166 मे खसरा नं. 701 रकबा 3.79 है० खाता सं० 167 मे खसरा सं. 226 रकबा 1.25 है०,खसरा सं. 269 रकबा 0.27 है०,खसरा सं. 283 रकबा 0.10 है०,खसरा सं. 597 रकबा 1.84 है० कुल किता 4 कुल रकबा 3.46 है० भूमि मे वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 को 1/3 - 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार धोषित किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रकरण में मुताबिक प्राथमिक डिक्री अनुसार वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 को 1/3,- 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार धोषित किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये गये। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।




न्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा रहन भूमि बदस्तूर
खसरा नम्बर 226 रकबा 1.25 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 597 रकबा 1.84 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 855/166 दक्षिण रकबा 0.32 हैक्टेयर
कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 हैक्टेयर

लक्ष्मीचंद पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा रहन भूमि बदस्तूर
खसरा नम्बर 269 रकबा 0.27 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 283 रकबा 0.10 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 701/1 पुर्व रकबा 0.37 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 855/166 उत्तर रकबा 0.58 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 494 रकबा 2.09 हैक्टेयर
कुल किता 5 कुल रकबा 3.41 हैक्टेयर

सूरजमल पुत्र लक्ष्मीचंद जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा रहन भूमि बदस्तूर
खसरा नम्बर 701 पश्चिम रकबा 3.42 हैक्टेयर

राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3/9/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रामावतार मीणा)
सहायक कलक्टर इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक इटावा जिला कोटा

गोठासीन अधिकारी- श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1-सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

- वादी

बनाम

- 1- लक्ष्मीचंद पुत्र स्व0 श्री कजोड जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
- 2- सुरजमल पुत्र श्री लक्ष्मीचंद जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
- 3- रैना पुत्री स्व0 श्रीमदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
- 4- गुडडी पुत्री स्व0 श्री मदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
- 5- मूर्ति पत्नि स0 श्री मदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
- 6- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा,53,88,188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं0 13/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के खाता सं. 164 में खसरा न. 855/166 उत्तर रकबा 0.90 है0,खाता सं. 165 मे खसरा सं. 494 रकबा 2.09 है0 खाता सं. 166 मे खसरा नं. 701 रकबा 3.79 है0 खाता सं0 167 मे खसरा सं. 226 रकबा 1.25 है0,खसरा सं. 269 रकबा 0.27 है0,खसरा सं. 283 रकबा 0.10 है0,खसरा सं. 597 रकबा 1.84 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.46 है0 भूमि मे वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 को 1/3 - 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार धोषित किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।


- (1) सुरेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा रहन भूमि बदस्तूर
खसरा नम्बर 226 रकबा 1.25 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 597 रकबा 1.84 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 855/166 दक्षिण रकबा 0.32 हैक्टेयर
कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 हैक्टेयर
- (2) लक्ष्मीचंद पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा रहन भूमि बदस्तूर
खसरा नम्बर 269 रकबा 0.27 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 283 रकबा 0.10 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 701/1 पुर्व रकबा 0.37 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 855/166 उत्तर रकबा 0.58 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 494 रकबा 2.09 हैक्टेयर
कुल किता 5 कुल रकबा 3.41 हैक्टेयर
- (3) सुरजमल पुत्र लक्ष्मीचंद जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा रहन भूमि बदस्तूर
खसरा नम्बर 701 पश्चिम रकबा 3.42 हैक्टेयर

4

य रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावे।

निणर्य मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 03/09/2020 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत्त0			मुत्त0		
मिलान			मिलान		


सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा